प्रेस नोट

दिनांकः- 26.11.2020

डॉ0 विपिन ताडा, पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा के निर्देशन मे आज दिनांक- 26.11.2020 को जनपद मे अपराधियो के विरूद्व व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद मे शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा विवाहिता को दहेज के लिये प्रताडित करने , मारपीट कर तीन तलाक देने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त मौ0 जावेद पुत्र मौ0 युसुफ निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना नौगावां सादात को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त मुख्तयार सिंह पुत्र मान सिंह निवासी चान्द्रा फार्म थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 50 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब मय अपमिश्रण सामग्री (05 किग्रा0 शराब खाम , 02 किग्रा0 यूरिया) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना बछरायुँ पुलिस द्वारा लोकसेवक के साथ मारपीट करने व आपराधिक बल का प्रयोग कर सरकारी कार्य मे बाधा डालने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त मूलचन्द पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी लम्बिया थाना बछरायुँ जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा बलवा कर गाली गलौच करने जान से मारने की धमकी देने व गम्भीर चोट पहुँचाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त अनिल पुत्र श्रीराम निवासी दयावली खालसा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- थाना रहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त भानु प्रताप पुत्र राजेंद्र निवासी कसाई पुरा थाना रहरा जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना रहरा पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना रहरा पुलिस द्वारा महिला के साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त मदन पुत्र कुँवरपाल निवासी ग्राम बुरावली थाना रहरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति , थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।